उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एंव सुधार अनुभाग-4
संख्या-68/2017/882/22-4-17-48(16)/14
लखनऊ : दिनांक- 04 अक्टूबर,2017

शुद्धि पत्र

जिला कारागार सिद्धार्थनगर, मिर्जापुर, कौशाम्बी, फतेहपुर, बॉदा एवं फैजाबाद में अतिरिक्त शौचालयों के निर्माण कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु जारी वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-60/2017/810/22-4-17-48(16)/14, दिनांक 25.09.2017 के प्रस्तर-3 में उल्लिखित मूल स्वीकृत लागत रू0 436.06 लाख के स्थान पर मूल स्वीकृत लागत रू0 435.06 लाख पढ़ा जाय। शासनादेश दिनांक 25.09.2017 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

करूणेश कुमार सिंह
अनु सचिव।

संख्या-68/2017 /882(1)/22-4-17-तददिनांकित-
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।
(2) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(4) प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
(5) जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर, मिर्जापुर, कौशाम्बी, फतेहपुर, बॉदा एवं फैजाबाद।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(8) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(9) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0, शासन।
(10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(11) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in